प्रकरण सं0 : 106/2018

अनवान :

1. बलवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. नारायणी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. लिलावती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. ओमवती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. सरोज पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
7. राजबाला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
8. अनोसिका पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
9. सुनील कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 9 श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ़)

सं0 : 106/2018

अनवान :

1. बलवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. कृष्णकुमार पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. नारायणी पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. लिलावती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. ओमवती पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. सरोज पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
7. राजबाला पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
8. अनोसिका पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
9. सुनील कुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 9**

निर्णय **दिनांक :** 30-08-2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 18 एएमएस के खाता सं0 53/54 के मु0नं0 17 के किला नं0 24 व 25 मु0नं0 24 के किला नं0 4 ता 8, मु0नं0 38 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23 मु0नं0 40 के किला नं0 6, 15, 16, 25 मु0नं0 41 के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22, मु0नं0 44 के किला नं0 2 ता 4, 7 ता 9 कुल किता 37 की 8.653 है0 नहरी मय रास्ता खाला की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी रणजीत वल्द नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादभूमि वादी के सडदादा जोधा वल्द रामसुख की खातेदारी हुआ करती थी तथा जोधा के पुत्र नन्दराम को देहान्त जोधा के जीवनकाल में ही हो गया जिसके चलते उक्त भूमि सीधे ही जोधा वल्द रामसुख से प्रतिवादी रणजीत के नाम विरासतन में आई थी जबकि वादभूमि प्रतिवादी जगदीश के साथ साथ कृष्णकुमार, नारायणी, लिलावती, ओमवती, सरोज, राजबाला, अनोसिका को बहिस्सा बराबर के अनुसार अर्थात् 1/8–1/8 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हुई थी। इस प्रकार उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी रणजीत के नाम दर्ज है, वह पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वाद भूमि में से प्रतिवादीगण सं0 3 ता 8 ने

अधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ

गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण स0 1 ... सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 बलवीरसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी ... प्रदर्श 1 ता 5 प्रदर्शित करवाये व सदस्य प्रमाण पत्र कृष्णकुमार पुत्र रणजीत ...न्दराम व सदस्य प्रमाण पत्र रणजीत वल्द नन्दराम वल्द जोधाराम का पेश

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी चक 18 एएमएस के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि रणजीत वल्द नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज होना व प्रतिवादी रणजीत के नाम विरासतन आना अंकित है। वादी द्वारा प्रदर्शित जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग सम्वत् 2016, जमाबन्दी भूमि प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2029 से 38, जमाबन्दी गिरदावरी भूमि सैटलमेन्ट विभाग सम्वत् 2019 में वाद भूमि वादी के दादा रणजीत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी ने दावा में अपने पिता व दादा को प्रतिवादी पक्षकार बनाया है, मगर अनुतोष अपने दादा से चाहा है। वादी ने दावा में अंकित अपने कथनो की पुष्टि में कोई ऐसा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित हो कि वाद भूमि विरासतन नन्दराम से रणजीत के नाम दर्ज हो अथवा नन्दराम के नाम दर्ज रही हो। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने में असफल रहा है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88. 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-08-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़